1182

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 373 OF 2022

IN THE MATTER OF:

SUMIT SAINI …APPLICANT

VERSUS

HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD & ORS. RESPONDENTS

INDEX

S`L. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply by Applicant against SPS Biochem's submitted Letter to me/court on dated 06-09-2024. Next hearing date is 11-09-2024.	1 – 19

Filed by: Filed on: 10.09.2024

Applicant,

Sumit Saini
S/o Shri Rajinder saini, Kishan Pura Damla
Yamunanagar-135001, Haryana
Ph. +919034103390
Email: sainisumit96@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.373 OF 2022

IN THE MATTER OF:

SUMIT SAINI …APPLICANT

VERSUS

HARYANA STATE POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS. RESPONDENTS

REPLY BY APPLICANT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

To,

Honorable judge and Expert Member,
National Green Tribunal,
Principle Bench, New Delhi

विषय : Reply by Applicant against respondent no. 5, SPS Biochem's submitted Letter to me/court through email on dated 06-09-2024. Next hearing date in the matter is 11 Sep 2024.

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं सुमित सैनी गांव निवासी दामला, जिला यमुनानगर, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। मेरे द्वारा माननीय न्यायलय में case No. 373/2022 याचिका दायर की गई है । केस की अगली सुनवाई माननीय न्यायलय द्वारा 11 September 2024 को निर्धारित की गई है।

Reply by applicant in Red font on SPS biochem matter, SPS biochem द्वारा मुझे व कोर्ट को भेजे गए letter on dated 06-09-2024 के संदर्भ में अपने उत्तर निचे दे रहा हूं । साथ ही साथ इनके द्वारा बताई बातें जो English मे है। उनको भी साथ में संगलित कर रहा हूं ।

1. That the above stated matter was listed for hearing before the Hon'ble Tribunal on 21.08.2024, wherein answering respondent no.5 brought to the notice of the Hon'ble Tribunal that applicant in his reply, dated 16.08.2024, has filed certain photographs, some of which do not pertain to answering respondent and the averments made in the reply are not attested, verified and affirmed on oath since no affidavit has been filed thereto. The Hon'ble Tribunal was pleased to grant answering respondent an opportunity to file reply. A copy of order, dated 21.08.2024, in OA No.373 of 2022, is attached as Annexure R-1

मैं माननीनय न्यालयय को बताना चाहता हूं कि मैं देश का जिम्मेदार, कर्मठ व जागरूक नागरिक हूं। मैं पहले भी कोर्ट में याचिका दाखिल करते समय affidavit दे चुका हूं। और अब फिर से कोर्ट को इस मामले मे मेरे द्वारा जमा दस्तावेजो व फोटो के सत्यापन का अपना affidavit जमा करा चुका हूं । और मे इस बात की पूरी जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सभी बाते व फोटो सच है। व मै उनकी पूरी जिम्मेवारी लेता हूं । मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चो के भविष्य और environment protection के लिए लड रहा हूं । पूरी सच्चाई, निष्ठा व ईमानदारी से मैं कोर्ट के समक्ष पिछले 2.5 साल से लगातार साक्ष्य व जमीनी हकीकत प्रस्तुत कर रहा हूं ।

2. That answering respondent no.5 has not violated and has not acted in contravention of any of the directions issued by the Pollution Department from time to time. The allegations of applicant in this regard are completely unfounded.

शायद प्रतिवादी पक्ष यह भूल रहा हैं कि pollution Department भी प्रतिवादी है। कि कैसे इन्होंने आपसे environment compensation money, के पैसे कम वसूल किए। कैसे इस category के Plant को चलाने की permission दी। और कैसे प्लांट के बंद होने के आर्डर के बावजूद construction का काम चलता रहा । आपने खुद यह बात अपनी statement मे भी कबूली है। कि Construction का काम बंद रहा । परन्तु मेरे द्वारा दिखाई Pictures से यह साबित होता है कि यह झूठ है । इसकी एक अखबार Copy व petition file भी मे निचे लगा रहा हूं ।

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
18 Jun 2022, 11:08 am

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
18 Jun 2022, 11:08 am

ROSTFREI
STEELS
Shot on motorola edge 20
Sumit Saini
18 Jun 2022, 11:06 am

Shot on motorola edge 20
Sumit Saini

HSPCB to shut down Y'nagar factory

Unit found illegally storing huge quantity of raw material, causing pollution

SHIV KUMAR SHARMA
TRIBUNE NEWS SERVICE

YAMUNANAGAR, JUNE 14

In a major action, the Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) shall close down the operation of an under-construction industrial unit, which was allegedly found installing machinery illegally without obtaining valid permission in Damla village of the district.

The HSPCB authorities swung into action after Sumit Kumar Saini of Damala village lodged a complaint on the CM Window, alleging that an industrial unit had stored huge quantities of the press mud of sugar mills, affecting a vast surrounding area by emitting foul smell.

After getting the complaint, Naresh Kumar, Assistant Environment Engineer, and Deepak, Municipal Engineer, who was deputed as the Duty Magistrate by District Magistrate Parth Gupta conducted an inspection of the said industrial unit on May 13, 2022.

During an inspection, the HSPCB authorities also found that huge quantities of the press mud of sugar mills were stored unscientifically by the unit for its proposed product, 'Compressed biogas'.

As per the report, the biodegradation of the press mud was causing a lot of air pollution at the site, which was affecting the surrounding area with foul smell.

After the inspection, a show-cause notice was issued to the industrial unit and later, the regional officer of the HSPCB, Yamunanagar, recommended the closure order against the said unit to the pollution board chairman.

The residents of Damla village had earlier too raised their voice against the said unit several times.

Meanwhile, Nirmal Kashyap, regional officer, HSPCB, Yamunanagar, said: "We have received the closure order of the industrial unit from the HSPCB higher authorities on Monday. Now, we'll soon shut down the ops and seal the plant, machinery and diesel generator (DG) sets. Also, the power supply will be snapped."

CLOSURE ORDER RECEIVED

"We got the closure order of the industrial unit from the HSPCB higher-ups on Monday. Now, we'll shut down the ops soon and seal the plant, machinery and DG sets. The power supply will be snapped too.
Nirmal Kashyap, REGIONAL OFFICER, HSPCB

The press mud stored at an industrial unit of Damla village of Yamunanagar. TRIBUNE PHOTO

पॉल्यूशन बोर्ड के आदेश दरकिनार • दामला में शुगर मिल की मली से कंप्रेस्ड बायो गैस बनाने वाली फैक्ट्री का मामला

क्लोजर नोटिस के बाद भी न बिजली कनेक्शन कटा, न निर्माण बंद, अब कोर्ट में केस की तैयारी

भास्कर न्यूज | यमुनानगर

दामला में बिना उचित प्रबंध किए और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सीटीई व सीटीओ लिए बगैर कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) बनाने का प्लांट तैयार हो रहा है जबकि यह उद्योग ऑरेंज कैटेगरी में आता है। यानी पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए यहां बेहतर इंतजाम होना अति आवश्यक है। हालात यह हैं कि बगैर कागजी कार्रवाई पूरी किए ही फैक्ट्री परिसर में खुले में काफी मात्रा पर रॉ मैटेरियल के रूप में प्रेस मड (शुगर मिल की मली) जमा कर ली गई है। इससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जांच के बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पंचकूला ऑफिस ने इसे गंभीर बताते हुए फैक्ट्री को क्लोजर नोटिस जारी किया है। वहीं, बिजली कनेक्शन काटने के भी आदेश जारी किए हैं। मली को मौके से तत्काल डिस्पोज ऑफ करने को कहा है। शनिवार तक फैक्ट्री का निर्माण कार्य जारी है। अभी तक मली को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है। वहीं बिजली कनेक्शन भी अभी नहीं कटा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एईई नरेश कुमार ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर मैसर्स एसपीएस बायो कैम प्रा. लि. दामला के खिलाफ कोर्ट में केस किया जाएगा। नियमों को ताक पर रखने वाली फैक्ट्री किसी भी हालत में नहीं चलेगी।

जांच रिपोर्ट... 3 किमी के दायरे में बढ़ जाएगा एयर पॉल्यूशन

प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि प्रेस मड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। इसे निश्चित समय में डिस्पोज करना होता है। इसका निस्तारण न कर, अवैज्ञानिक तरीके से खुले में रखा है। मौके पर पॉल्यूशन नियंत्रण के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं। इससे एयर पॉल्यूशन कई गुना बढ़ जाएगा। इसका असर फैक्ट्री के 3 किमी से अधिक के एरिया में हो सकता है। वहीं, इससे भूमिगत जल की गुणवत्ता को भी नुकसान होगा। इसलिए फैक्ट्री को सेक्शन 31ए एयर एक्ट, 33ए वाटर एक्ट 1984 के तहत बंद करने का निर्णय दिया गया। साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यमुनानगर के अधिकारियों से कहा गया कि वे प्लांट, मशीनरी व डीजे सेट को सील करें। बिजली की सप्लाई काट दी जाए।

यमुनानगर| मैसर्स एसपीएस बायो कैम प्रा. लि. दामला में जमा की गई शुगर मिली।

पंचकूला तक इस तरह पहुंचा मामला

जब फैक्ट्री परिसर में शुगर मिल की मली की डंपिंग की जाने लगी तो इसकी दुर्गंध से दामला के लोगों को परेशानी हुई। ग्रामीणों ने विरोध भी किया पर सुनवाई नहीं हुई। परेशानी ज्यादा बढ़ने पर गांव के सुमित कुमार सैनी ने शिकायत सीएम विंडो पर दी। इस शिकायत पर अधिकारी हरकत में आए। डीसी ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एईई नरेश कुमार को जांच के लिए कहा, इस काम के लिए नगर निगम के अभियंता दीपक को डयूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। टीम ने जांच की तो फैक्ट्री संचालन के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल से संबंधित कागजात ही नहीं मिले। वहीं यहां

फैक्ट्री में पॉल्यूशन का स्तर मिला बेहद खतरनाक

जांच के बिंदु	मिला	तय मानक
बीओडी	22000	30
सीओडी	168000	250
टीएसएस	3480	100
ऑयल एंड ग्रीस्स	22.5	10
कंडक्टिविटी	3507	--

जमा किए गए कच्चे माल को खतरनाक स्तर का मानकर फैक्ट्री प्रबंधन की कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 2 जून को फैक्ट्री प्रबंध ने इसका जवाब विभाग में दिया। इस जवाब को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी निर्मल कश्यप ने संतोषजनक न मानकर कार्रवाई के लिए स्टेट ऑफिस पंचकूला को लिखा। तब वहां से क्लोजर नोटिस जारी हुआ। शिकायतकर्ता सुमित का कहना है कि वे सोमवार को फिर से अधिकारियों से मिलेंगे।

The site of the closed industrial unit. TRIBUNE PHOTO

HSPCB shuts down factory in Y'nagar

SHIV KUMAR SHARMA
TRIBUNE NEWS SERVICE

YAMUNANAGAR, JUNE 16

The Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) has closed down the operations of an under-construction industrial unit, which was allegedly found installing machinery without obtaining permissions from the board at Damla village in Yamunanagar.

The authorities of the HSPCB has also asked the management of the industrial unit to shift the press mud to safer places and to store (dispose of) it according to rules and regulations to prevent air and water pollution.

They also wrote to the authorities of Uttar Haryana Bijli Nigam Limited (UHBVNL) to disconnect the power supply of the unit.

"Implementing the order issued by the higher authorities of the HSPCB, we closed down the operations related to the construction work of the unit situated at Damla village in Yamunanagar on Wednesday. We also wrote to the authorities of the UHBNL to disconnect the power supply of the unit," said Nirmal Kashyap, Regional Officer, HSPCB, Yamunanagar.

The action was taken on a complainant lodged by Sumit Kumar Saini, a resident of Damla village, on the CM Window Grievance Portal. The Assistant Environment Engineer of the HSPCB, Naresh Kumar, and Municipal Engineer Deepak had conducted an inspection of the site on May 13.

During the inspection, they found that the unit was under installation of machinery for the proposed project of compressed biogas without having obtained prior consent to establish and operate from the HSPCB.

MACHINERY INSTALLED ILLEGALLY

- The unit was allegedly found installing machinery without obtaining valid permissions from the HSPCB
- The unit was also found storing huge quantity of press mud, causing pollution illegally

Directorate of Town & Country Planning, Haryana

Aayojna Bhawan, Madhya Marg, Sector 18A, Chandigarh
Phone : 0172-2549349 Email: tcpharyana7@gmail.com
Website: http//tcpharyana.gov.in

Regd

To

SPSBIO-Chem Pvt. Ltd.,
Through Sh. Rohit Singla S/o Sh. Sat Paul Singla,
Regd. Office: SCO 85-86, Sector-12,
District Panchkula, Haryana.

Memo No. CLU/Misc-746-JE(SS)-2022/ 11965 Dated: 05-05-2022

Subject: Grant of Change of land use permission for setting up of compressed BIOGAS (CBG) Plant based on Agro-Waste in the revenue estate of village Damla, Tehsil Radaur, District Yamuna Nagar.

Please refer to your application dated 13.10.2021 on the above cited suject.

Permission for change of land use for setting up of compressed BIOGAS (CBG) Plant based on Agro-Waste over an area measuring 36725.16 sqm. comprising in Khasra no. 3/1, 28//6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 12/3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1/2, 23/2/2, 24/2, 4/5/2 in the revenue estate of village Damla, Tehsil Radaur, District Yamuna Nagar is hereby granted subject to the following terms and conditions:-

1. That you shall give atleast 75% employment to the domiciles of Haryana where the posts are non technical in nature and a quarterly statement indicating the category wise total employment to those who belong to Haryana shall be furnished to the G.M.D.I.C. of concerned District.
2. That you shall abide by the policy dated 09.03.2018 (Haryana Bio Mass Policy 2018)
3. That you shall get the building plans approved from the Department before commencing the construction at site within six months of the issuance of final permission.
4. That you shall obtain occupation certificate from the department after completing the building within two years of issuance of this permission.

(K. Makrand Pandurang, IAS)
Director,
Town and Country Planning
Haryana, Chandigarh

Endst. No. CLU/Misc-746-JE(SS)-2022/ Dated:

A copy is forwarded to the following for information and necessary action please:-

1. Director, New Renewable Energy Department, Akshay Urja Bhawan, Plot No. 1, Sector 17, Opp. Agarwal Bhavan, Panchkula, Haryana – 134109.
2. Director, Haryana State Pollution Control Board, C-11, Sector-6, Panchkula, Haryana 134109.
3. Senior Town Planner, Panchkula.
4. District Town Planner, Yamuna Nagar.

(Narender Kumar)
District Town Planner (HQ)
For: Director, Town & Country Planning
Haryana Chandigarh

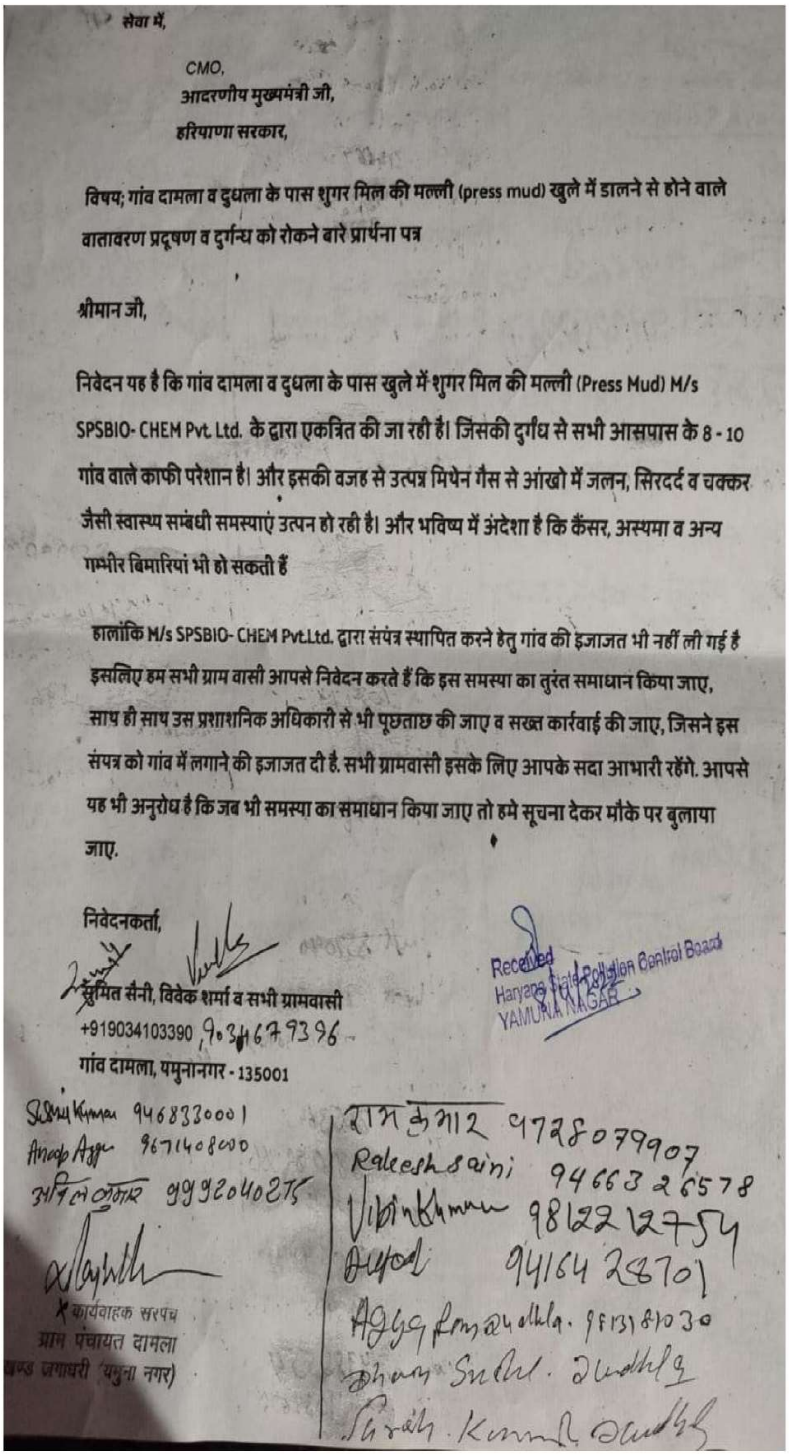

सेवा में,

CMO,
आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
हरियाणा सरकार,

विषय; गांव दामला व दुधला के पास शुगर मिल की मल्ली (press mud) खुले में डालने से होने वाले वातावरण प्रदूषण व दुर्गन्ध को रोकने बारे प्रार्थना पत्र

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि गांव दामला व दुधला के पास खुले में शुगर मिल की मल्ली (Press Mud) M/s SPSBIO- CHEM Pvt. Ltd. के द्वारा एकत्रित की जा रही है। जिसकी दुर्गंध से सभी आसपास के 8 - 10 गांव वाले काफी परेशान है। और इसकी वजह से उत्पन्न मिथेन गैस से आंखो में जलन, सिरदर्द व चक्कर जैसी स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएं उत्पन हो रही है। और भविष्य में अंदेशा है कि कैंसर, अस्थमा व अन्य गम्भीर बिमारियां भी हो सकती हैं

हालांकि M/s SPSBIO- CHEM Pvt.Ltd. द्वारा संयंत्र स्थापित करने हेतु गांव की इजाजत भी नहीं ली गई है इसलिए हम सभी ग्राम वासी आपसे निवेदन करते हैं कि इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए, साथ ही साथ उस प्रशासनिक अधिकारी से भी पूछताछ की जाए व सख्त कार्रवाई की जाए, जिसने इस संयत्र को गांव में लगाने की इजाजत दी है. सभी ग्रामवासी इसके लिए आपके सदा आभारी रहेंगे. आपसे यह भी अनुरोध है कि जब भी समस्या का समाधान किया जाए तो हमे सूचना देकर मौके पर बुलाया जाए.

निवेदनकर्ता,
सुमित सैनी, विवेक शर्मा व सभी ग्रामवासी
+919034103390, 9034679396
गांव दामला, यमुनानगर - 135001

Received
Haryana State Pollution Control Board
YAMUNA NAGAR

Sushil Kumar 9468330001
Anoop Ajay 9671408000
अनिल कुमार 9992040275

कार्यवाहक सरपंच
ग्राम पंचायत दामला
खण्ड जगाधरी (यमुना नगर)

राम कुमार 9728079907
Rakesh saini 9466326578
Vipin Kumar 9812212754
[illegible] 9416428701
Ajay Ram Dudhla. 9813181030
Dharam Singh. Dudhla
Suresh Kumar Dudhla

To,

Date: 20/06/2022

Honourable Shri Arun Kumar Tyagi, JM

Honourable Shri Dr. Afroz Ahmad, EM

Sub: IA Filling on Original Application No. 373/2022

Respected Sir,

Myself Sumit Saini, residence of village Damla, Yamuna Nagar, Haryana, I have filed a case in honourable court NGT on 16 May 2022 regarding the pollution happening in our village. Whose Application No. is 373/2022. On this, the honourable court has also passed an order on 24 May to verify it. The next date of hearing is 22 August 2022.

I was told about 4 cases in the application. Out of which, I am just now through this mail telling you the details of case no. 2 (CNG plant). Due to the lax attitude of the administration, we felt the need for the attention of the honourable court and immediate action on the matter before the hearing time given to us.

The matter is that, we villagers had informed the Deputy Commissioner and Pollution Board Department about this under construction (from last one year) CNG plant in starting of April month that, this company is collecting the sugar cane press mud from March month of 2022. Due to which the health of the people of the village is deteriorating, foul smell is circulating and pollution is created. But they did not take any action and told that, we will take action after checking the company's paper.

After one month in May, on checking the paper it was found that this company M/s SPS Bio Chem Pvt. Ltd. Apart from CLU, the company has not taken any other NOC from any other department (They denied to show any other documents). In this CLU also, the company had started construction work a year before the final granted permission of the CLU. The permission granted on 5th May 2022 (When we lodged a complaint).

Then in mid of May, the inspection and samples of the waste were checked by the Pollution Department and notice was given to the company. After this, on June 13, the closing orders of the company were issued by the high authority of the pollution department. In which on June 17th, the department said that the process of sealing the company has been done on Wednesday 13th June (report in news Paper).

But we do not understand this game that, still the construction work is going on in the company even on Saturday 18th June (Picture attached). Press mud is also lying there as like that. Even the electricity connection not cut yet. And in the midst of all these things, all of us villagers are still trapped in the foul smell from last 4 months. Even in upcoming July month, during rainy season, the situation will be worst for us.

We would like to draw your attention to one another side also, that this company people tell us that, we have access to the top, our second parent company is SP Singla construction Ltd. Whose turnover is 1200 crores. We are more powerful.

It is an appeal to honourable court that, by ordering immediate action on this company, it should be completely sealed and waste disposed off from the area. As directors of the company after knowing and understanding everything, playing with the life, health of people's and spoiling the environment. So, they should be sent behind the bars along with heavy penalty. The action of the administration on this matter after despite knowing all this is also very poor. If they cannot take proper action on their behalf even after seeing everyone on the spot, then what is the use of such a big administration (DC, SP, Pollution department etc). You are requested to that, strict action should also be taken against the responsible officers.

All the documents are attached as given below.

1) Staring Complaint copy of April month to CM Window Haryana
2) CLU copy of the company
3) Pollution control board report and notice copy to the company
4) News Paper copy about action taken by the pollution department
5) Some other newspaper reports
6) Pictures of plant on 18th June, showing construction is still going on
7) Pictures of press mud laying there as like that

Thank you,

Your Sincerely,

Petitioner

Sumit Saini
S/o Shri Rajinder Saini, Kishan Pura Damla
Yamuna Nagar-135001, Haryana
Ph. 9034103390

शायद प्रतिवादी पक्ष यह भूल रहा हैं कि आपसे ये compensation money environment Act उल्लंघन के लिए ही ली गई है। मैं इस केस मे स्वतंत्र जांच की मांग भी शुरू से कर रहा हूं । अभी भी सम्बन्धित पक्ष कोर्ट से छुपाकर कभी मल्ली को कही shift कर देते हैं और कभी कही । जब मै वहा की Pictures court के समक्ष पेश करता हूं। तो कही और shift कर देते है। लेकिन कोर्ट को यह कोई नही बता रहा कि 72000 ton मल्ली जोकि इतनी ज्यादा है। कि इसको कही तो रखेगे। और जब वो खुले में गले सड़ेगा तो क्या Pollution नही होगा। पन्नी ढक देने से गंदी व हानिकारक गैसो का उत्सर्जन नही होगा क्या । Boundry के बाहर smell नही जाएगी क्या । मक्खी मच्छर नहीं होगे क्या । CNG बनने के दौरान , CNG के उत्पादन quantity के ही नजदीकी मात्रा मे C02 निकलेगी तो वह Pollution नहीं है क्या । ये सब बहुत बड़े सवाल है। प्रशासन और विभाग के लिए भी। जो इनको किस बेस पर permission दे रहे है यह कोई छोटी मोटी quantity नहीं है। टनो मे ही co2 को हवा मे छोडा जा रहा है । Poultry farm, इसी catagory का प्लांट है। और उसकी waste तो इस प्लांट से बहुत गुणा कम है। फिर भी उसके लिए Rule है कि वह

500mtr से ज्यादा दूरी पर होना चाहिए। परन्तु इतने बड़े प्लांट को रिहायशी इलाके में सम्बन्धित पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से construction शुरू कर दिया जाता है। कुछ permission बहुत बाद मे ली जाती है। और लगातार बिना रोक टोक के काम निरन्तर जारी रहता है । और अब 2.5 साल बाद August महीने मे quantity कम दिखाकर, Smell कम दिखाकर , अपनी खुद की theory बना कर केस को dismiss कराना चाहते हैं ।

3. That it is also wrong and vehemently denied that the answering respondent has made any false statement. Such irresponsible statements being made by the applicant, without any basis are unsustainable and merely being made to prejudice the Hon'ble Tribunal. It is relevant to mention that the plant of answering respondent is situated within the industrial area, wherein apart from petitioner, many other industries like Brick Kiln, Fabrication workshops, Concrete Batching plant, Plywoodfactory, Tool Manufacturing Factory, Plywood Adhesive Factory are operating since last 10 years. Industries areas are established by the
State Government considering the totality of facts and circumstances and if the applicant had any objection to establishment of the industrial
area, applicant should have pursued its legal remedies against the State Government. Once answering respondent set up the plant, applicant is
threatening, harassing and continuously trying to intimidate the answering respondent. Applicant cannot dictate as to what raw material
should be used and should not be used for the compressed bio gas plant since the plant is based on a particular technology and aims to resolve
the issue of disposal of press mud in the area, where sugarcane industry is widely spread. Answering respondent is making its best efforts to utilize the waste for generation of bio gas fuel as well as organic manure, which can be utilized for improving the crop yield. The contention of applicant regarding the expenses and money for setting up the plant and the profit that would be derived from the same is
completely baseless. In fact, such a submission clearly establishes and reveals the motives of applicant.

में detail wise इसका (point no. 3) पूरा सक्षेप उत्तर माननीय न्यायलय के समक्ष रखना चाहता हूं । सबसे पहले तो प्रतिवादी ने प्लांट लगाने से पहले किसी की भी permission नही ली। और आपने प्लांट लगाना तो गाँव वालो की शिकायत दर्ज होने से काफी पहले से ही शुरू कर दिया था। क्योंकि SATAT scheme 2018 मे आई थी। गांवों वालो को तो तब पता चला जब इन्होंने प्लांट व प्लांट के बाहर pressmud store करनी शुरू कर दी। जिससे परेशान हो कर 2022 के शुरुआत मे मौजूदा विभाग, प्रशासन व मंत्रियों से इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी। फिर जब कोई कार्यवाही नही हुई। क्योंकि सम्बन्धित पक्ष की पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो मामला मई 2022 मे कोर्ट के समक्ष गाँव वालो द्वारा मेरे माध्यम से लाया गया । और हमे कुछ राहत मिलि । तब तक इनके पास कोई भी permission नही थी। तब कुछ permission लेने का काम इनके द्वारा कोर्ट केस होने के

बाद शुरू किया गया था । सिर्फ CLU ही उस month पास करवाया गया था । इसकी copy उपर लगी है । फिर कैसे construction का काम पहले शुरू किया गया?

इन्होंने CLU मे industrial waste press mud को Agro waste बताया था। जबकि यह सिर्फ गन्ने के रस के बाद निकली खोई (bagasse) नही है। उसे तो sugar industry खुद के boiler मे जलाने के लिए use कर लेती है। pressmud वह industrial waste है। जोकि Sugarcane के जूस को mud, अन्य अशुद्धियो व चीनी को white बनाने के लिए Lime व अन्य chemical का use करके जो अपशिष्ट बचता है। वह press mud है। तो ये दिखा कुछ और रहे है। और कर और कुछ रहे है

इसी CLU मे इन्होंने बताया है। कि जमीन village Damla मे है। तो कहा से अब industrial land बोल रहे हैं। इसका Notification कहा है। अगर दूसरी industries यहाँ पर गलत कर रही है। और गलत तरीके से स्थापित है। तो क्या आप भी इनका भागीदार बनोगे ? इसका भी मुददा मै कोर्ट के समक्ष उठा चुका हूं। कि जब पुरानी तरीके से लगी industries गलत या सही, 2016 मे कोर्ट के आदेश व Relocation Policy के अन्तर्गत orange व Red category industries को बाहर निकालने के आदेश थे। व सही Location पे ले जाने के आदेश थे। अब वह तो प्रशासन ने क्यो नही किया मै नही जानता, जोकि बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन के लिए । तो फिर इन्होंने नई industry को भी कैसे permission दे दी यह भी बड़ा सवाल है ।
इसीलिए SPS Biochem ने अपनी Statement मे (13-02-2023, page no. 4 (126), para 10) यह बताया है। कि ये कोई waste water discharge नही करेंगे। और ये white Catagory मे आते है ना ही इन्हे CLU की आवश्यकता है। ना ही इन्हे environment clearance की जरूरत है । और आपने बताया था। कोई LFOM बाहर नही जाएगा और खुद process मे utilise होगा। जबकि मैंने अपनी पिछली reply 2023 मे इस बात की भी detail answer दिया था कि यह possible ही नही है। और आज यह सच भी साबित हो रहा है। और इसी वजह से आपने Liquid discharge की सीमा 125 kld के अन्तर्गत दिखाने की कोशिश की ताकि आप red catagory मे ना आ जाए। और विभाग ने भी आपकी बात को मान लिया। और इस बात का अब तक कोई Proof या जांच ही नही हुई है । इसीलिए तो Raw Material के साथ नए water supply add के लिए आपके यहां Borewell भी लगा है। तो इतनी बड़ी सख्या मे आप 100% slurry recycle या use ना

होने पर waste discharge भी करोगे। इसीलिए अब ये truck, ट्रालियों मे FOM और LFOM बता कर, आस पास के लोगो की जमीन किराए पर लेकर Sundry बोल कर गंदगी फैलाई व डाली जा रही है जबकि प्रतिवादी ये कैसे decide कर सकता है। कि क्या fom है। और क्या Lfom है। fertilizer Act के अनुसार इनके पास क्या सत्यापन या certificate है। ये बहुत बड़े सवाल है। कैसे कोई अपनी मर्जी से गंदगी को कुछ भी साबित करके और वो भी Sundry कर रहा है । ये कहाँ के कानून है।

यह भी सवाल बनता है कि CLU से पहले इन्होंने construction कैसे शुरू कर दिया। जिसकि मेरे पास सभी pictures और video मौजूद है ।

हम गांवो वाले या मै इनको क्यो और किसलिए डराएंगे , मे इनको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि satat scheme का हवाला देकर कोर्ट को गुमराह मत करिए कि हम environment protection कर रहे है। जबकि उसके अन्तर्गत जरूरी नियमो का पालन आपको करना था। जो आपने नही किया। सरकार ने भी यह नही कहा कि अपनी मर्जी से कुछ भी करिए। देश मे कानून भी है। जिसके तहत हम सबको चलना है ।

और paddy straw का उल्लेख आपके statement मे भी है। जोकि (13-02-2023, page no. 2 (124), para 5 मे है). जोकि यह दिखाता है। कि आपके द्वारा पहले बोला गया था कि Paddy straw use करेंगे अब बोल रहे है। यह Plant के लिए compatible नही है मेरे द्वारा दिखाई गई आपके कम्पनी बोर्ड की फोटो भी आपकी location पर है। जो मे Proof कर सकता हू। भले ही फोटो पर Location ना आ रही हो। परन्तु Camere मे है। जिससे यह ली गई है। और यह कोर्ट के समक्ष मेरा बस इतना सा सुझाव था। कि असली मायनो मे environment protection paddy straw का इस्तेमाल करके हो सकता है। मै इसके लिए किसी को force नही कर सकता। इसमे मंशा सिर्फ इतनी है। कि environment protection के नाम पर आप कोर्ट को गुमराह नही कर सकते ।

जब आपने शोषण किया तो केस आपके खिलाफ भी होगा। और सरकार की नीतियो के खिलाफ भी। फिर सरकार हो यह कम्पनी केस तो कोर्ट मे ही दर्ज होगा। इसी के अन्तर्गत हम अपनी कार्यवाही कर रहे हैं । और न्याय के लिए हम माननीय कोर्ट मे तथयो के साथ मौजूद है ।

हम प्लांट लगाने के बाद कोर्ट मे नही आए हैं हम तो कोर्ट मे आपके खिलाफ 2.5 year से केस लड रहे हैं सभी आस पास के गाँव वालो के साथ मिलकर । और शुरू से ही कोर्ट से

हमारी मांग यही थी की इस प्लांट पर तुरत रोक लगे व बन्द करने के आदेश हो। हम कानून के दायरे मे रहकर सभी काम करते है। और करते रहेंगे। एक जिम्मेवार नागरिक की तरह ।

आप कोर्ट मे अपने फायदे को बचाने के लिए है। इसलिए मैंने profit होने वाली बात की और कैसे यह आप ज्यादा पाना चाहते है इसकी जानकारी कोर्ट को दी। इसके पिछे की मेरी मंशा स्पष्ट है कि आप यह काम कही और जाकर किसी remote location पर कर सकते हैं परन्तु हम गाँव वालो का future इससे बर्बाद हो जाएगा। और अगर प्लाट इतना ही साफ सुथरा है। तो industrial area मे क्यों नही लगाया जोकि स्पेशल नया बनाया गया है। industry के लिए ।

सच्चाई यह है। कि आप शुरू से ही illegally construction कर रहे थे। और अब पकड़े जाने पर ऐसी फिजूल की दलीले दे रहे हैं। और याचिकाकर्ता को डराने, केस वापिस लेने व कानूनी उल्छन मे फसाने के लिए, मेरी मंशा पर सवाल उठा रहे है। और कोर्ट क़ा ध्यान सही सबूत व सच्चाई से हटाना चाहते हैं ।

मेरे द्वारा Picture से आपका यह झूठ भी पकड़ा गया कि आप पन्नी ढकते है। Spray करते है। smell नही आती। आस पास के गवाह भी बता सकते है। कि क्या सच हैं और क्या झूठ । जहा इन्होंनें मल्ली गिराई है। या गिराई थी। उनसे भी पूछताछ होगी तो पता चल जाएगा कि यह किसकी मलीं है। या थी। में सभी साक्ष्य video graphy व Picture सहित , उसमें show हो रही location के साथ कोर्ट के कहने पर सच साबित कर सकता हूं । पहले भी मैंने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो कर मल्ली का live video दिखाया था। और Pendrive मे सभी data देना चाहा तो उस समय पता नही क्यों यह लिया नही गया था ।

4. That further contention of applicant regarding not taking prior approval and sanction of gram panchayat is also ill founded. It is relevant to mention that the FAQs (Frequently Asked Questions) being relied upon by applicant to contend violation on behalf of answering respondent is also erroneous since the same are merely FAQs. Assuming, but clearly not admitting, even if the said FAQs are considered to be applicable, answering respondent had taken due permissions in this regard.

5. That the Local Panchayat of village Damla, District Yamunanagar, Haryana and nearby areas had been dissolved in January 2021and was not in existence when answering respondent sought to establish the plant in the year 2022. This is apparent from the notification dated 07.10.2022, by the State Election Commission, Haryana, wherein 07.10.2022 was declared to be the day for election for Gram Panchayat. Once, Gram Panchayat was not in existence and that too nearly one year prior thereto, the question of taking prior approval of Local
Panchayat does not arise.

ये बात सही है कि 2021 से कुछ कारणों वंश हरियाणा ग्राम पंचायतों के इलैक्शन स्थगित हो गए थे। परन्तु आपने तो प्लांट का काम 2020 से ही शुरू कर दिया था और अगर 2021 भी मान लेते है। तो इसका ये मतलब नही है कि गांवों के कार्य नही हो रहे थे। ये scretry व BDPO के माध्यम से लगातार जारी थे । मेरे पास गाँव की पंचायत का रिकार्ड रजिस्टर भी है। उस दौरान का । जिससे साबित होता है। कि भले ही उस समय पंचायत का सरपंच नही था। परन्तु BDPO तो था। जिसके माध्यम से कार्य हो रहे थे । वैसे भी यह तो प्रतिवादी का सिर्फ तर्क है। बाकि permission भी इन्होंने कहा ली थी तब उस समय तक । मैं माननीय न्यालालय को बताना चाहता हूं। यह सिर्फ FAQ नही है। यह उन प्रश्नो के उत्तर gov website पर उनके लिए है। जो यह प्लांट Satat scheme के अन्तर्गत लगाना चाहते है। और SPS कम्पनी Scheme को तो बड़ा चडा कर बता रही है परन्तु इसके अन्तर्गत नियमो को मानने से किनारा कर रही है। और कोर्ट मे बता रहे हैं कि हम इसके अन्तर्गत environment protection का काम करेंगे । परन्तु यह भी तब Possible होगा जब actual मे कार्बन कैप्चर होकर होगा जोकि नही हो रहा। जबकि सच्चाई मे केस दर्ज होने के बाद इन्होंन कुछ permission लेने का काम शुरू किया। वो भी संदेह के घेरे मे है। और बहुत सी परमिशन अभी भी इनके पास नही है। इसमें कम्पनी future मे बंद होने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी।

FAQ के तहत इनको BDPO से परमिशन लेनी थी जो इन्होंने नही ली। Construction के बाद Running Licence लेना था जो नही लिया। गाँव को अपने Plan से aware करवाना था। जो नही कराया गया। यहा तक कि 2023 मे जब CTO ली थी तब तो ग्राम पचायत भी स्थापित हो गई थी। तब क्यो permission नही ली गई। DC office का जो letter इन्होंने लगाया है। वो भी सिर्फ request है। Permitted नही है। सच यह क़ि इन्होंने जो भी काम किया अपनी मर्जी से किया बिना किसी को confidence मे लिए। और ये सब इनके प्रभाव के कारण हुआ। और इनमे भी स्वयं की दलीले पेश कर रहे हैं । यह लिखा जा रहा है। कि environment protection होगा लेकिन सच यह है। कि एक जगह का होगा परन्तु दूसरी जगह पर खराब हो जाएगा । अगर co2 एक जगह कम होगी परन्तु दूसरी तरफ जहा प्लांट लगेगा सारी वही आ जाएगी क्योंकि ये उसे capture करने का प्लांट नही लगा रहे। एक जगह से Raw Material उठेगा तो दूसरी जगह कही तो डलेगा। क्योंकि ये उसको एक साथ या पूरा बंद करके इस्तेमाल नही कर रहे।

6. However, still answering respondent diligently applied to the Deputy Commissioner, Yamunanagar, Haryana, vide letter dated 15.10.2022, seeking permission for starting and

operating the plant. A copy of letter dated 15.10.2022, by answering respondent to Deputy Commissioner,
Yamunanagar, Haryana, is attached as Annexure R-2. Since the matter was already placed for consideration of the District Collector, the issue
of permission from non-existent Gram Panchayat is fully untenable.

ये सब permission आपको Plant लगाने से पहले लेनी थी। जो आपने शिकायतो के बाद शुरू की थी। अब तो matter भी कोर्ट मे है। जो सब से उपर स्थित है। जो पूर्ण रूप से न्याय देने मे सक्षम है। और वादी और प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद सही और गलत का फैसला देगा। और आपकी गलत और गुमराह करने वाली बातो का भी अवलोकन करेगा। ये DC का letter भी आपकी तरफ से भेजी याचिका है। ना कि permission. और प्रतिवादी इसमे भी गलत बाते पेश कर के परमिशन पाने क़ी कोशिश कर रहा है ।

7. It is wrong and vehemently denied that prior to inspection by HSPCB, answering respondent had shifted the raw material to another place. Further, the allegation of collusion is without any basis or detail or reference and cannot be given any credence. The photographs at page 1141 show Fermented Organic Manure (FOM), which has to be sun dried, before it can be gathered and packed. FOM cannot be sprayed with any chemical as it would then become harmful when used as a
fertilizer in the fields and over crops. Moreover, this fact is itself being acknowledged and accepted by applicant that spray of chemicals is not a solution as such chemicals themselves cause pollution.

फोटो से यह clear है। कि कैसे एक महीने के अंतराल मे Raw Material काफी मात्रा मे प्लांट location से गायब है। और जहां यह raw material पड़ा है। जांच मे उस जगह का मालिक ही बताएगा कि यह किसका है। मेरी द्वारा दिखाई फोटो पूर्ण रूप से सच है। व location camera मे है। इसकी गवाई भी गाँव वाले दे सकते है। कि यहा कब कब raw material कम्पनी द्वारा डाला गया। माननीय न्यालयय खुद इसकी मोके पर जांच करा सकता है इससे पहले कि यह दुबारा इसे shift कर दे। या सबूतो को मिटाया या छुपाया जाए।

अभी August मे HSPCB द्वारा inspection हो रही है। जब material भी कम बचा है। वो भी कुछ decomposition होने के बाद, उसमें भी smell है। ये क्या proof करने की कोशिश हो रही है। कि plant सही है। कोई problem नही है और कोर्ट से मामला dismiss करा लिया जाए। यहा पूरे raw material की बात कोई क्यो नही करता, इसके प्रबन्धन की बात क्यो नही करता । कम्पनी के द्वारा बताई बातो के आधार पर ही क्यो कार्यवाही हो रही

है। कोई ऐजेंसी नही है। जो इनको सत्यापन कर सके। और अब तो सब प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है।

मैंने माननीय न्यायलय को जो भी पहले बताया था। मै आज भी उन बातो पर कायम हूं। और वो बाते आज सही भी साबित हो रही है ।

8. That answering respondent uses press mud as the raw material. The said press mud is generated from the sugar mills after sugarcane juice has been extracted. The season of sugar industry is from November to April when the said press mud is generated. Answering respondent has diligently shown the photographs of what is existing on ground as on date of filing the reply.

मैं भी कोर्ट को जो Actual मे घट रहा है। उसकी सही और स्पष्ट जानकारी पूरी जिम्मेवारी व सच्चाई के साथ दिखा रहा हूं। क्योंकि हमे ही इस location पर रहना है। जहां पर प्रतिवादी हमारे मौलिक अधिकार हनन कर रहे हैं ।

9. That the photograph at page 1144 does not pertain to answering respondent and hence, is denied in its entirety regarding the location of
land as well as material.

Location सिर्फ picture मे नही आ रही है। परन्तु camara मे है। जो मे कोर्ट के समक्ष सिद्ध कर सकता हूं और दिखा भी सकता हूं इसके अलावा फोटो मे दिख रहे background से भी फोटो की प्रणमाणिकता का पता लगाया जा सकता है । फोटो मे दिख रही building या कोई दिख रही अन्य चीज से व साथ ही साथ उस location के मालिक से पूछताछ पर यह भी clear हो जाएगा की Material का असल मालिक कौन है। इससे पहले ये इसे कही और shift कर दे। मेरे साथ साथ यह जानकारी तो बहुत से गाँव वालो को पता है। कि सही मे चल क्या रहा है। कहाँ किसका Material पडा है। और पहले कहा था। और फिर कहा shift किया गया। मै सभी जानकारी कोर्ट को दे सकता हूं जांच करवाने के लिए, सभी सबूतो व video के साथ। मेरे पास video भी है। जो फोटो के दौरान की है। और सिर्फ भेजी गई 5-6 फोटो ही नही बहुत सारी है। सिद्ध करने के लिए ।

10. That the reliance of applicant on photograph at page 1145 of its reply to show that answering respondent had also mentioned usage of paddy
straw is not tenable since initially answering respondent was also made to understand that paddy straw could be used as a raw material. Hence, the answering respondent put up the board bonafidely. However, with passage of time, there were difficulties in the running of the plant and
when answering respondent sought expert opinion regarding the issues being faced, the expert/ consultant, vide letter dated 30.04.2024,
specifically stated that the plant is not designed for use of paddy straw as a raw material. Hence, the old photograph cannot be relied upon.

यही तो मै कोर्ट को बता रहा हूं कि आप कि कही बातो पर कैसे विश्वास किया जा सकता है जो आप कह रहे है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी बाते लिखकर permission ले रहे है और आपकी कही बातो को ही मानकर permission दे दी भी जा रही है। अब आपने खुद बोल दिया कि पहले आप कुछ और माने रहे थे। और अब असलियत कुछ और है। परन्तु इसकी सजा और खामियजा हम गाँव वाले थोडे सहेंगे। आपने तो अपनी कोर्ट statement मे भी paddy straw वाली बात कबूली थी। जिसका उल्लेख मै उपर कर चुका हूं ।

11. That applicant has leveled completely false and baseless allegations, which are completely unsubstantiated and untenable. The photographs
at page 1147 of the reply do not pertain to the land of answering respondent and hence, both the said photographs are denied in their entirety. The photographs at page 1148 and on page 1149 are
concerned, it clearly shows FOM, which has been kept for sun drying. The photograph seems to have been taken during rainy season when presence of water is natural, though the date on the photograph is not admitted.
12. That similarly both the photographs on page 1150 of reply are not pertaining to applicant's land and hence, are denied in its entirety. Applicant has not given any details or location of the land and hence, the said photographs cannot be attributed to answering respondent. Applicant, without any details or affidavit, is callously filing photographs merely to prejudice the Hon'ble Tribunal.
13. That photographs at page 1151 shows FOM before and after the drying process is over. On the left hand side, it can be seen that FOM has been
kept for sun drying and in the middle of the said photograph, it is apparent that the FOM is being collected since it has already been sun dried.
14. That photographs at page 1152 of reply do not pertain to answering respondent and hence are denied.
15. That the photograph at page 1154 clearly shows that the project, in question, is situated within the industrial area, which is surrounded by multiple industrial units. It is also apparent that the location of the plant is completely beyond the habitation and is in the midst of open area/ fields.
That in view of the above and submissions herein before, it is most respectfully prayed that the present application may kindly be dismissed with costs. Answering respondent undertakes to abide by all the terms and conditions as may be prescribed by the authorities and shall always remain committed to work in the interest of and for the protection of environment.

जो Picture आपको सही लगी उसमें तो आप fom बता रहे हो। जो नही लगी उसे आप मानने से इनकार कर रहे हो। परन्तु ऐसे बोलने से सच्चाई छुप नही जाएगी। fom जहां है। land तो वो भी आपकी नही है। lease पे ली हुई है वो भी आपके द्वारा । आपके अनुसार Proof तो मे उसे भी नही कर सकता। और आप कुछ भी कही भी डालकर Sundry कैसे कर सकतो हो। fertilizer Act कुछ मायने भी रखता आपके लिए या नही ? ये भी सबसे

बढ़ा सवाल है। कि ये सब चल क्या रहा है। ये मिलिभक्त नही तो और क्या है। बाकि कुछ प्रश्नो के उतर मे उपर दे चुका हूं ।

मेरी माननीय न्यालयय से गुजारिश है कि उपरोक्त बातो का संज्ञान लेते हुए हमे न्याय दिया जाए। हमे साफ हवा पानी मे जीने के मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना किया जाए। शोषण तो हमारा गांव वालो का हो रहा है। जो काम शासन प्रशासन को अपनी सुझबुझ व जिम्मेवारी से निभाना चाहिए था। उसे हमे अपना काम छोडकर करना पड है। व तक्लीफे सहन करनी पड रही है। इसके लिए सभी पक्ष जिम्मेवार है। हमारी कोर्ट से हाथ जोडकर यह प्रार्थना है कि इस प्लांट को हर्जाने के साथ बंद किया जाए ताकि हमारी जान माल का नुकसान रुक सके। हम सभी गाँव वासी जिंदगी भर आपके कृतज्ञ व आभारी रहेगे।

धन्यवाद ।

याचिकाकर्ता

सुमित सैनी